राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

:: आदेश ::

क्रमांक : 08 /विविध/2013 दिनांक : 22.11.2013

इस न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 10/ई.वी./2012 दिनांक 21.11.2012 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है । अत: समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बन्द रहेंगे परन्तु सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समस्त न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2013 से 31.12.2013 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे । उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उक्त न्यायालयों के कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे ।

अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश किया जाता है कि दिनांक 25.12.2013 से 31.12.2013 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सैशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लम्बित है, उन्हे सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हे भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत करें, सुनेंगे एवं निपटायेंगे ।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ठ न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई. कैसेज एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण भी बन्द रहेंगे, लेकिन इन विशिष्ठ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25.12.2013 से 31.12.2013 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे ।

जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश / अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य भी निपटायेंगे ।

अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बन्द रहेंगे । उक्त अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए सम्बन्धित सम्पूर्ण न्यायक्षैत्र / सैशन खण्ड के एक सिविल न्यायाधीश (क.खं.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जिस किसी को भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश आदेश प्रदान करेंगे, उन्हे उक्त अवधि में सम्बन्धित न्यायक्षैत्र / सैशन खण्ड का आवश्यक एवं दैनिक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से

21/11/13

(देवेन्द्र कच्छावाहा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

............02

(5535 to 5539)

क्रमांक :- सामान्य/XII/11/90/ 5535 to 5539 दिनांक : 21/11/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1- प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर ।

2- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।

3- रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर ।

4- अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु ।

5- समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीशों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने न्यायक्षैत्र में सभी अधीनस्थ न्यायालयों को सूचित करावें ।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

21/11/13